न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 17/2025 (गुण्डा एक्ट)
जी.सी.एम.एस नं.– 2025/58

उनवान

राज्य सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस स्टेशन दीगोद जिला कोटा ग्रामीण (राज0)

बनाम

ओमप्रकाश पुत्र बालचन्द जाति कोली निवासी दीगोद, थाना दीगोद जिला कोटा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा (3)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975

निर्णय दिनांक : 20/2/26

थानाधिकारी पुलिस स्टेशन दीगोद के द्वारा इस्तगासा अन्तर्गत धारा (3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 तहत जिला पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण कोटा के माध्यम से इस न्यायालय मे ओमप्रकाश पुत्र बालचन्द जाति कोली निवासी दीगोद, थाना दीगोद जिला कोटा ,जिला कोटा ग्रामीण के विरूद्ध जर्ये थानाधिकारी इस आशय का पेश किया कि गैरसायल के विरूद्ध तालिका में अंकित प्रकरणों में थाना क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षेत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते है। जिससे उसके क्षेत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरूद्ध साक्ष्य देने के लिऐ आगे आने के इच्छुक नहीं रहते है। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते है। गैरसायल के विरूद्ध आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र.स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	174/3-11-2023	13 आरपीजीओ	150/15-11-2023	100/– रू0जुर्माना
2.	41/21-3-2024	13 आरपीजीओ	32/23-03-2025	100/– रू0जुर्माना
3.	01/2025	13 आरपीजीओ	01/8-1-2025	100/– रू0जुर्माना

अतः ओमप्रकाश पुत्र बालचन्द जाति कोली निवासी दीगोद, थाना दीगोद जिला कोटा के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई। गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

हुऐ नोटिस दिया गया। गैरसायल बाजवूद सूचना अनुपस्थित रहने से न्यायालय का यह मत है कि गैरसायल उक्त कार्यवाही बाबत् कोई सुनवाई नही चाहता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी **दीगोद** द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में गैरसायल के विरूद्व 13 आर.पी.जी.ओ. की धारा मे 03 आई.पी.सी. के तहत दर्ज हुए है।

अतः इस्तगासा में वर्णित अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्व एंव दण्डित करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिऐ पेरोकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिऐ घातक होना कथन करते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तगासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ की धाराओ में दर्ज प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व एंव दण्डित करने की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गेरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार **ओमप्रकाश पुत्र बालचन्द जाति कोली निवासी दीगोद, थाना दीगोद जिला कोटा** राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत **15** दिन के लिऐ **थाना दीगोद** कोटा की सीमा से **जिला बारां** के लिऐ निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले सोमवार को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियो की जानकारी **थानाधिकारी, अन्ता ,जिला बारां** को प्रस्तुत करेगा । **थानाधिकारी, अन्ता ,जिला बारां** गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेगें। गैरसायल की उक्त **15** दिवस की निष्कासन अवधि **20** दिन पश्चात अर्थात **दिनांक** 17.. ./03/2026 से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी थाना **दीगोद** जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल **ओमप्रकाश पुत्र बालचन्द जाति कोली निवासी दीगोद, थाना दीगोद जिला कोटा** को दिनांक 17/03/2026 को पुलिस अभिरक्षा में थाना **दीगोद** जिला–कोटा (ग्रामीण) की सीमा से थाना, **थानाधिकारी, अन्ता ,जिला बारां** की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेगें। थानाधिकारी, **थानाधिकारी, अन्ता ,जिला बारां** थानाधिकारी **दीगोद** जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षैत्र **दीगोद** जिला कोटा (ग्रामीण) में लोटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेगें।

निर्णय आज दिनांक ....20/2/26.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटा, जिला कोटा
अति० जिला कलक्टर
कोटा